आधी आबादी को सशक्त करते कदम

डॉ. सीमा सिंह*

पिछले कुछ वर्षो से भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं, जिससे महिलाओं का संपूर्ण विकास हो सके। जिन महत्वपूर्ण विषयों का चयन सरकार ने देश के संपूर्ण विकास के लिए चुना, वे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ कन्या एवं बालिकाओं का संपूर्ण विकास। उज्ज्वला योजना तो महिलाओं के लिए कहीं न कहीं बड़ा वरदान साबित हुई। इसी बीच *'बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ'* सहित कन्या के पैदा होने पर सरकार ने उनके पढ़ने, बड़े होने, रोजगार, शादी तक के लिए राशि निर्धारित किया है। इस योजना को महज एक योजना नहीं बनाया गया अपितु जमीनी स्तर पर उसके विस्तार और विकास के लिए काफी बड़ा नेटवर्क विकसित किया है, जिससे आम आदमी तक ये योजनाएं पहुँच सकें। बहुतायत लोग इस मामले में लाभान्वित भी हुए। विकास के लिए इससे पहले बातें चाहे जितनी हुई हों, परंतु उस पर काम उतनी तीव्रता से नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने सार्थक पहल किया। इसके साथ ही छोटे स्तर पर बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक तक उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। पूरे देश में कन्या भ्रूणहत्या रोकने के लिए ऐसा सिस्टम भी डेवलप किया, जिससे बेटे को प्राथमिकता देने की जो भारतीय मानसिकता है, उसके बरक्श भारतीय बेटियों को गर्व का संबल बनाया। इसका सार्थक फायदा यह हुआ कि यह भारत देश जो पितृसत्ताप्रधान देश है, वहाँ पर 'सेल्फी विद डॉटर' जैसे मानव मन के छोटे-छोटे आयामों को बारीकी से देखा गया। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि हम बेटियों के संरक्षण को लेकर कितने जागरुक हैं। राष्ट्र के महत्पूर्ण पदों पर आज मातृसत्ता नजर आयेगी। महिलाओं में यदि धार्मिक विभेदन न किया जाये तो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया वह मुस्लिम महिलाओं के लिए किया। सैकड़ो वर्षों से कूप-मंडूक नियमों में बंधी हुई मुस्लिम महिलाएं यौन शोषण से लेकर जीवन के न जाने कितनी की पीड़ा के प्रकोष्ठों से गुजरने के लिए विवश थी। ऐसे में तीन तलाक लाना, उसे पारित करके संशोधन को नियम में डालना कहीं न कहीं नारी के प्रति बड़ा बदलाव था जो लोगों की कल्पनाओं में छिपा था। ज्ञान-विज्ञान सभी में मातृत्व सत्ता चरम पर नजर आयी। इसलिए एक वर्ष में कई बार बेटियों को लेकर महिलाओं के विकास के लिए पिछले कुछ वर्षो में कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लायी गयी हैं।

पिछले कुछ वर्षो में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए सरकार ने देश भर में कई तरह की योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं कमजोर और पीड़ित महिलाओं को आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं और जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत को जानने का प्रयास करते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना : बेटियों के सुंदर भविष्य के लिए यह योजना काफी लाभदायक है। बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए यह अच्छी स्कीम साबित हो सकती है। यह पीपीएफ से अधिक ब्याज देती है। दस वर्ष तक की बेटी के लिए इसका लाभ लिया जा सकता है। इसका खाता खुलवाने पर वर्तमान में करीब 8.1 फीसदी की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। बेटी के इक्कीस वर्ष होने के उपरांत अकाउंट मैच्योर हो जायेगा। जो भी व्यक्ति अपनी बेटी के भविष्य के लिए निवेश का प्लान कर रहा है, वह इस स्कीम का इस्तेमाल कर सकता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ही जगहों पर यह खाता बेटी के अभिभावक खोल सकते हैं। इस अकाउंट को मात्र 250 रुपए में खोला जा सकता है। इस धन का बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार की यह योजना इनकम टैक्स बचाने में भी कारगर होती है। इस योजना को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत लांच किया गया है। छोटी बचत स्कीम के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। सन् 2016-17 में इस पर 9.1 फीसदी की दर से ब्याज मिला है। इससे पहले यह 9.2 प्रतिशत थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब तबके को ध्यान में रखकर क्रियान्वित किया गया है। निश्चित आमदनी के साथ ही आपके पूंजी की सुरक्षा यह स्कीम देती है।

अट्ठारह वर्ष की उम्र में बालिका की उच्च शिक्षा के लिए पचास फीसदी की रकम निकाली जा सकती है। इसे खोलते समय बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी होता है। बच्ची और उसके कानूनी अभिभावक का पहचानपत्र और पते का प्रमाणपत्र भी अनिवार्य है। शुरुआत में

* *पोस्ट डॉक्टरल फैलो, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।*

250रुपए लगेगा और इसके बाद 100रुपए के गुणांक स्वरूप में राशि जमा होगी। यह खाता जिस तारीख को खोला गया है, उसके बाद के 15वर्ष तक इसमें राशि जमा की जा सकती है। यदि किसी कारणवश अकाउंट में रुपए जमा नहीं हो पाएं तो उसे 50रुपए सालाना की दर से अतिरिक्त धन देना होगा। रकम जमा करने के अनेक तरीके हैं, जैसे कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या कोई भी वह माध्यम जिसे बैंक स्वीकार कर सके। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड में भी रकम जमा की जा सकती है। सरकार ब्याज तिमाही में तय करती है।

पिछले कुछ वर्षो में ब्याज की दर कुछ इस प्रकार है-

- अप्रैल 2014 : 9%
- अप्रैल 2015 : 9.2%
- अप्रैल 2016 : 8.6%
- जुलाई 2016 : 8.6%
- अक्टूबर 2016 : 8.5%
- जुलाई 2017 : 8.3%

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ : पिछले कुछ वर्षो में यह योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना बनकर उभरी है। इसका लाभ कई लोगों को मिला। इसका उदेश्य है महिला भेदभाव को समाप्त करना और युवा लड़कियों के लिए कल्याणकारी माहौल का निर्माण करना। यह योजना 'महिला और बाल विकास मंत्रालय', 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' और 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का संयुक्त प्रयास है। किसी भी कारणवश जिन महिलाओं की शिक्षा अवरुद्ध हो गयी है, उन्हें आगे शिक्षित करने की ओर प्रेरित करना ही इस योजना का प्रमुख ध्येय है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में की थी। बाललिंग अनुपात लगातार गिरने से लड़कियों की संख्या कम होती गयी। इस लिंग अनुपात में गिरावट 1961 से ही देखी जा रही है। सन् 1991 में हजार लड़कों की तुलना में 945 लड़कियाँ देखी गयी। यह आकड़ा आगे और गिरा और 2011 की जनगणना में लड़कियों की संख्या महज 918 रह गयी। यह आकड़ा विकास करने वाले किसी भी देश के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। इसी गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की। विभिन्न राज्यों में यह आकड़े भिन्न-भिन्न है। हरियाणा के पानीपत में 2015 में प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की। इसके प्रमुख तीन लक्ष्य थे। पहला कन्या भ्रूणहत्या को रोकना। दूसरा कन्याओं की सुरक्षा और समृद्धि और तीसरा आधी आबादी की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना। इस योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सौ करोड़ का बजट तय हुआ। इसकी शुरुआत सौ जिलों के साथ हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों की सोच में बदलाव लाना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खत्म करना और नारी को उसका अधिकार दिलाना है। इस योजना के प्रमुख लाभ लिंग-अनुपात को व्यवस्थित करना, बेटे की चाह को कम करना, बाल विवाह को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरुकता लाना है।

महिला ई-हाट : यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कारगर है। महिलाएं अपने उत्पादों का इस स्थान पर प्रदर्शन कर सकती हैं। छोटे स्तर पर व्यापार करने वाली महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। जिन महिलाओं के लिए बड़े बाजार में अपना सामान पहुँचाना आसान नहीं है, वह इस ई-हाट के द्वारा पूरे देश में अपना सामान बेच पाने में सक्षम हो पाएंगी। इस योजना का उद्देश्य घर पर रहने वाली महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है। इस ई-हाट के माध्यम से कोई भी महिला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है।

यह योजना महिला उद्यमियों की जरूरतों के लिए सार्थक पहल है। यह डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का ही एक हिस्सा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय महिला कोष के तहत इसकी स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों में निरंतर विकास को बढ़ावा देकर उसे सशक्त बनाना है ताकि वह वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसका मिशन है- वेब के माध्यम से खरीदार और बेचने वाले का सीधा संपर्क स्थापित करना। इससे मेक इन इंडिया को बल और संबल मिलेगा। आर्थिक मजबूती महिला को सामाजिक बराबरी भी दिलाएगी। यह प्लेटफार्म महिलाओं द्वारा बनाया, निर्मित किया गया और उनके ही द्वारा बेचे जाने वाला मंच है। यह महिलाओं की रचनात्मक क्षमता का विकास करती है। इसे शुरू करने के लिए बस एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। खरीददारों की सुविधा के लिए प्रोडक्ट की तसवीरें, लागत, मोबाइल नंबर, निर्माता का पता ई-पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा। विक्रेता टेलीफोन या ईमेल किसी भी साधन से सीधा संपर्क साध सकता है।

इसमें भाग लेने के कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्ते हैं, जैसे महिला का भारतीय नागरिक होना, उसने इससे पहले किसी महिला उद्यम का नेतृत्व किया हो, महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी भी जरूरी है। सामान की गुणत्ता की जिम्मेदारी प्रतिभागी और विक्रेता को लेनी होगी। राष्ट्रीय महिला कोष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस ई-पोर्टल में किसी भी प्रकार की रुकावट के निवारण की जिम्मेदारी भी प्रतिभागी और विक्रेता को लेनी होगी। प्रतिभागी और विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस पोर्टल पर किसी अवैध सामान का प्रदर्शन न हो। यदि ऐसी कोई गतिविधि होती हुई पायी गयी तो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। दोनों पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ सभी प्रकार के कानून का पालन हो रहा है। सभी करों का भुगतान हो रहा है, यह भी सुनिश्चित करना होगा। नियम और इसकी पात्रता की शर्ते किसी भी कारणवश बदली नहीं जा सकती हैं। प्रतिभागियों को खरीदार से सीधा भुगतान प्राप्त होगा। यहाँ बिचौलिया कोई नहीं होगा।

उज्ज्वला योजना : कितना ही हम विकास की बात करें पर सच्चाई से सभी वाकिफ हैं। हमारे भारत में गरीब महिलाओं को खाना बनाने के लिए आंखों को कितना जलाना पड़ता है। यह पीड़ा शायद राष्ट्रीय समस्या न बन सकें। उज्जवला वही योजना है जो भारत में रहने वाली अधिकतर महिलाओं की समस्या का समाधान करती है। यह योजना धुआँ-रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना को सिद्ध करती है। इस योजना के शुरुआत में वर्ष 2019 तक पांच करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का संकल्प था। इस योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु-प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने मई 2016 के बलिया गमन पर दी। इसमें तीन करोड़ परिवार की गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देने की घोषणा हुई। साथ ही आगे भारत की सभी महिलाओं तक यह सुविधा पहुंच जायेगी इसकी भी घोषणा हुई। फ्री गैस सिलेंडर के लिए लोगों के अकाउंट में रुपए भेजे गए, जिसका बहुत से लोगों ने लाभ लिया। इस लॉकडाउन में भी इन गरीब परिवारों के लिए घोषणाएं हुई। इस बंद के दौरान लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। लगातार लोगों के अकाउंट में इसके रुपए आ रहे हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध होती है।

वन स्टॉप सेंटर : इस योजना को 'सखी' के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रताड़ित महिला और बालिका के लिए एक ही स्थान पर आश्रय, पुलिस डेस्क, कानूनी सहायता, मेडिकल की सुविधा और काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है। सेंटर की शुरुआत अप्रैल 2015 में निर्भया फंड से लागू की गयी थी। इस योजना का टॉल फ्री नंबर 181 है। दहेज, घरेलू हिंसा या कोई अन्य अपराध जो महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करता हो तो महिलाओं को यहाँ-वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने उन्हें एक स्थान दिया है। जहाँ पहुँचकर उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। कानूनी सलाह ही नहीं महिला के रहने और खाने की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध करायी जाती है। चाहे दहेज के कारण घर से निकाली गयी महिला हो या वृद्धावस्था में बच्चों के द्वारा बोझ समझी गयी बुजुर्ग सभी को यहाँ न्याय मिलता है। शुरुआत में पांच से दस दिन तक रहने की व्यवस्था है। देखभाल के लिए दो नर्स भी हमेशा रहेगी। मनोवैज्ञानिक सलाह के साथ ही कानूनी सलाह देने वाले भी उपलब्ध रहेंगे। इन सभी के साथ सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था है। यह चौबीस घंटे कार्य करती है।

महिला शक्ति केंद्र योजना : बजट 2017-18 में घोषित महिला शक्ति केंद्र की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास, उन्हें जागरुक करना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना, आंगनवाड़ी से जुड़ी महिलाओं को सशक्त करना इत्यादि निश्चित किया गया है। इसके द्वारा ग्रामीण महिलाओं को केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जिसमें ट्रेनिंग और सामुदायिक भागीदारी का सहारा लेकर उनकी क्षमता को और निखारने का प्रयास भी किया जाता है। ये महिला शक्ति केंद्र,राज्यों के पिछड़े स्थानों में खोले जायेंगे।

संदर्भ सूची

1. **http://mahilaehaat&rmk-gov-in/en/**
2. **https://hi-wikipedia-org/wiki/**बेटी_बचाओ_बेटी_पढ़ाओ_योजना
3. **https://economictimes-indiatimes-com/hindi/wealth/personal-finance/pmuy&free&lpg&cylinder&a&month&for&ujjwala &beneficiaries&till&june&30articleshow/74922836-cms**
4. **http://www.nari.nic.in/hi/**महिला-शक्ति-केन्द्र

*****